न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–219/2017

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम शैला देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
29.01.2019	**आदेश**	

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1768/गो0, दिनांक–05.11.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन में रैयाम थाना कांड सं0–03/2017 दिनांक 02.02.2017 में जब्त वाहन ग्लैमर मोटर साईकिल नं0–BR07U-0607 के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अधिहरण हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु सूचना निर्गत की गयी। वाहन स्वामी का प्रत्युत्तर प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।

दिनांक 11.01.2019 को वाद की सुनवाई के क्रम में विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन था कि दिनांक 02.02.2017 को सरस्वती पूजा के अवसर पर थाना रिजर्व गार्ड विधि व्यवस्था डियूटी के क्रम में समय करीब 11.45 बजे प्योंही ग्राम–मोहनपुर पहुँचा तो देखा कि ग्लैमर हीरो मोटर साईकिल सड़क के किनारे, मसोमात शैला देवी, पति–स्व0 जगदीश पासवान के घर के सामने खड़ी थी। नजदीक जाकर देखा तो उक्त मोटर साईकिल के नम्बर प्लेट पर नं0–BR07U-0607 लिखा हुआ था तथा मोटर साईकिल चालक मसो0 शैला देवी के घर में बैठा हुआ था, जो पुलिस को देखकर घर की मालकिन शैला देवी एवं मोटर साईकिल चालक घर के पीछे के दरवाजे से भाग गये। दो स्वतंत्र साक्षी पप्पु पासवान, पे0–छीतन पासवान, एवं रविन्द्र पासवान, पे0–शिवा पासवान दोनों साकिन मानपुर, थाना–रैयाम, जिला–दरभंगा के समक्ष शैला देवी के घर की तलाशी लिया गया तो घर से दो छोटा ग्लास शीशा का तथा एक स्प्राईट का बोतल पाया गया, जिसमें शराब जैसी दुर्गंध आ रही थी। बोतल में 800*ml* शराब पाया गया। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल नं0–BR07U-0607 को विधिवत् जब्त किया गया, जो जब्ती सूची/प्राथमिकी से भी स्पष्ट है। इस प्रकार कुल 800*ml* शराब बरामद किया गया। जिसमें जाँच प्रतिवेदन के पश्चात् उक्त जब्त देशी चुलाई शराब होना पाया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन–2 ज्ञापांक 1076/सी.आर. दिनांक 27.04.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब्त वाहन के स्वामी का पता परिवहन कार्यालय दरभंगा से किया गया। उक्त गाड़ी कमलेश पासवान, पे0–मंगनु पासवान, साकिन–हाजीपुर, पो0–समैला, लालगंज, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा का होना पाया गया। अनुसांधान के क्रम में मंगनु पासवान, पे0–अशर्फी पासवान को गिरफ्तार किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता का पुनः कथन था कि जब्त मोटर साईकिल के

स्वामी प्राथमिकी अभियुक्त नहीं हैं और न ही जब्त मोटर साईकिल से शराब बरामद हुआ है। मोटर साईकिल चालक को अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकनोपरान्त जब्त मोटर साईकिल से शराब बरामद नहीं होने के कारण दिनांक 11.01.2019 को वाद की कार्रवाई के क्रम में जब्त वाहन को बंधपत्र आदि प्रस्तुत करने के पश्चात् वाहन विमुक्त करने का आदेश पारित है। उक्त पारित आदेश के आलोक में विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा बंधपत्र, शपथ पत्र तथा दो प्रतिभूति (1) भवेश पासवान, पिता—हृदय पासवान, ग्राम—औंसीडीह टोला, पो0—बभनगामा, जिला—मधुबनी का वाहन सं0— BR32Z-1872 (मोटर साईकिल) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार 47,778.00 (सैतालिस हजार सात सौ अठहत्तर) रुपये मात्र (2) निदेश कुमार पासवान, पिता—देवेन्द्र पासवान, ग्राम—लदारी, पो0—समैला लालगंज, थाना—केवटी, जिला—दरभंगा का वाहन सं0— BR07AD-7290 (मोटर साईकिल) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार 55,568.00 (पचपन हजार पाँच सौ अड़सठ) रुपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य 41,624 (एकतालित हजार छः सौ चौबीस) रुपये मात्र है।

दाखिल सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे स्वीकृत किया जाता है।

अतएव आवेदक द्वारा दाखिल बन्धपत्र, प्रतिभूति के आलोक में रैयाम थाना कांड संख्या—03/2017 दिनांक 02.022017 में जब्त वाहन मोटर साईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नं0—**BR07U-0607** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

पारित आदेश की प्रति, उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु, प्राप्त बंध—पत्र, अन्य कागजात की छायाप्रति के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष, रैयाम को भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

29/01/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा